

जिला उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- भागीरथ राम आर.ए.एस.

21/2025

योगेश्वरसिंह पुत्र महीपाल उर्फ महीपत जाति जाट निवासी छानीवड़ी तहसील भादरा
जिला हनुमानगढ़।
प्रार्थी

बनाम

योगेश्वर पुत्र महीपाल उर्फ महीपत जाति जाट निवासी छानीवड़ी तहसील भादरा जिला
हनुमानगढ़।

विरेश्वरसिंह पुत्र महीपाल उर्फ महीपत जाति जाट निवासी छानीवड़ी तहसील भादरा
जिला हनुमानगढ़।

सुरेश पुत्र महीपाल उर्फ महीपत जाति जाट निवासी छानीवड़ी तहसील भादरा जिला
हनुमानगढ़।

आईसीआईसीआई बैंक, शाखा हांसी जरिए बैंक मैनेजर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :- श्री संदीप गोदारा प्रार्थी
श्री विकेश राहड़ अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : - 24.02.2026

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता
199/192 के मु0न0 37 के किला नं0 14/2 की 0.223 है0, किला नं0 15/2 की 0.
है0, मु0न0 38 के किला नं0 11/2, 12/2, 13/2 प्रत्येक किला की 0.223 है0 कुल 1.
है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी योगेश्वरसिंह के नाम से दर्ज है एवं चक 4
डब्ल्यू के खाता संख्या 66 के मु0न0 33 के किला नं0 21 की 0.240 है0, किला नं0 22
0.253 है0, मु0न0 34 के किला नं0 24/2 की 0.051 है0, किला नं0 25 की 0.152 है0,
10 37 के किला नं0 4/3 की 0.061 है0, किला नं0 4/4 की 0.025 है0, किला नं0 5/3
0.061 है0 किला नं0 5/4 की 0.025 है0, मु0न0 38 के किला नं0 1/1 की 0.086 है0,
जा नं0 2/1 की 0.086 है0, किला नं0 3/1 की 0.086 है0 कुल 1.126 है0 नहरी
तेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ज्ञानेश्वरसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है एवं इसी
चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 263/239 के मु0न0 37 के किला नं0 4/2 की 0.
70 है0, किला नं0 5/2 की 0.1670 है0, किला नं0 6/1, 7/1 प्रत्येक किला की 0.085
), मु0न0 38 के किला नं0 1/2, 2/2, 3/2 प्रत्येक किला की 0.1670 है0, किला नं0
/1, 9/1, 10/1 प्रत्येक की 0.058 है0 कुल 1.1250 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि
तिवादी संख्या 2 विरेश्वरसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं इसी चक के खाता
संख्या 297/258 के मु0न0 37 के किला नं0 6/2, 7/2, प्रत्येक की 0.1950 है0, किला नं0
14/1, 15/1 प्रत्येक किला की 0.0300 है0 मु0न0 38 के किला नं0 8/2, 9/2, 10/2
प्रत्येक किला की 0.1950 है0, किला नं0 11/1, 12/1, प्रत्येक किला की 0.030 है0 कुल 1.
1250 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 सुरेश के नाम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थी की चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 199/192 के मु0न0 11 में आने के लिए
से आदमपुर पक्की रोड़ के दक्षिण की तरफ सड़क से मु0न0 33 के किला नं0 21,
38 के किला नं0 1, 10 व किला नं0 11 की 0.030 है0 पश्चिम की तरफ उत्तर से
में से होते हुए अपने अपने खेत में आवागमन कर रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थी की
कृषि भूमि में लगता है। वर्तमान में प्रार्थी उक्त वर्णित रास्ते को स्वीकृत करवाकर
रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब
गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमती से
नामा प्रस्तुत किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने
क राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत
वेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने चक 4 जेजीडब्ल्यू के
संख्या 199/192 के मु0न0 11 में आने के लिए भादरा से आदमपुर पक्की रोड़ के
की तरफ सड़क से मु0न0 33 के किला नं0 21, मु0न0 38 के किला नं0 1, 10 व
नं0 11 की 0.030 है0 पश्चिम की तरफ उत्तर से दक्षिण में से होते हुए आवागमन के
रास्ता की आवश्यकता है। इस हेतु प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने राजीनामा पेश किया।
प्रकार मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया
ता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार
या जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे चक 4 जेजीडब्ल्यू के
ता संख्या 66/66 के मु0न0 33 के किला नं0 21 की 0.013 है0 मु0न0 38 के किला नं0
/1 की 0.004 है0, चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 263/239 के मु0 नं0 38 के किला
0 1/2 में से 0.009 है0, किला नं0 10/1 में से 0.003 है0 एवं इसी चक के खाता संख्या
97/258 के मु0न0 38 के किला नं0 10/2 में से 0.010 है0, किला नं0 11/1 में से 0.013
0 जो किला के पश्चिम की तरफ पक्की सड़क के दक्षिण की ओर उत्तर से दक्षिण की तरफ
रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त करें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड
में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में



(भागीरथ राम)
अधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हरियाणा)
भादरा जिला-हनुमानगढ़